ग्राम पंचायत बसाल अप्पर, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग–1

1 (क) प्रस्तावना

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, dated 7-4-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बसाल अप्पर, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :–

प्रधान

क्र०सं०	नाम	अवधि
1)	श्रीमती रमन कुमारी	1.4.2013 से अद्यतन

सचिव

1)	श्री भजन सिंह	14.2013 से अद्यतन

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत बसाल अप्पर के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :–

क्र०सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (लाखों में)
1.	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	6	0.56
2.	खाता–ख से अर्जित ब्याज को खाता–क में अंतरित न करना	7	0.67
3.	अनुदानों का उपयोग न करना	8	10.67
4.	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टोर/स्टॉक का क्रय करना	9	2.55
5.	अनियमित एवं संदिग्ध भुगतान	12	0.10
6.	दुकान किराये के रूप में हुई हानि	14	0.48

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत बसाल अप्पर, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 26.8.2016 से 30.8.2016 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 2/2014, 3/2015, 2/2016 व 3/2014, 6/2014, 10/2015 का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत बसाल अप्पर, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अधियाचना संख्याः 253, दिनांक 27.8.2016 द्वारा सचिव, ग्रांम पंचायत बसाल अप्पर से अनुरोध किया गया तदानुसार सचिव, ग्राम पंचायत बसाल अप्पर द्वारा के0सी0सी0वी0 ऊना के बैंक ड्राफ्ट संख्याः 312450, दिनांक 29.8.2016 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को प्रेषित किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत बसाल अप्पर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :–

(i) **स्वः स्त्रोत :–** ग्राम पंचायत बसाल अप्पर के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिमशेष
2013–2014	1,55,180.40	87,227	2,42,407.40	1,42,276	1,00,131.40
2014–2015	1,00,131.40	1,21,267.90	2,21,399.30	1,65,339	56,060.30
2015–2016	56,060.30	77,001	1,33,061.30	70,899	62,122.30

(ii) **अनुदान :–** ग्राम पंचायत बसाल अप्पर के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिमशेष
2013–2014	2,64,361.60	19,41,945	22,06,306.30	14,59,596	7,46,710.60
2014–2015	7,46,710.60	12,14,287	19,60,997.60	13,89,724	5,71,273.60
2015–2016	5,71,273.60	19,55,252	25,26,525.60	14,59,886	10,66,639.60

4.1 बैंक समाधान विवरणी

जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत बसाल अप्पर द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई। जिसके फलस्वरूप दिनांक 31.3.2016 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खाते में ₹5100 का अन्तर था। अतः पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(i) दिनांक 31.3.206 को स्वः स्त्रोत का अन्तशेष ₹62,162.30

(ii) दिनांक 31.3.2016 को अनुदान राशि का अन्तशेष ₹10,66,639.60

योग **₹11,28,801.90**

अन्तशेष का विवरण :– दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष का विवरण निम्नानुसार है।

क्र० सं०	खाता सं0	बैंक का नाम	शीर्ष/निधि	राशि	हस्तगत राशि	योग
1	20013012672	के0 सी0 सी0 बैंक ऊना	योजना/सभा	822850.55	252.35	823102.90
2	50051747799	–यथोपरि–	टी0एस0सी0	239490	–	239490
3	20013051372	–यथोपरि–	आई0ए0वाई0	644	–	644

4	50051747802	–यथोपरि–	तेरहवें वित्तायोग	70027	638	70665
5	30444898914	एस0 बी0 आई0 बसाल	मनरेगा	–	–	–
			कुल योग	**11,33,011.55**	**890.35**	**11,33,901.90**

अन्तर (₹11,33,901.90 – ₹11,28,801.90) = ₹5100

4.2 रोकड़ बही का बैंक खाते से मिलान न करना

रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खाते का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहीयों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहीयों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.3 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्याः 1 से 50 में वर्णित आय की अपनी आय के स्त्रोत माने जाएंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता–क के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम–3 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान, विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियों और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता–ख जाना जाएगा। परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक पंचायत ने अपनी आय के स्त्रोतों की रोकड़ बही में कुछ अनुदानों की आय को भी सम्मिलित किया गया था व शेष अनुदानों हेतु तीन रोकड़ बहियां अलग से तैयार की गई थी। जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख–रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता–क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–II में पंचायत आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 पंचायत राजस्व ₹0.56 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

पंचायत सचिव बसाल अप्पर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत राजस्व ₹56,274 निम्नानुसार वसूली हेतु शेष थी।

1**(क)** **<u>गृहकर</u>**

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	7488	19650	27138	230	26908
2014–15	26908	20025	46933	35284	11649
2015–16	11649	19850	31499	825	30674

(ख) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार फार्म–10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार किया जाना अपेक्षित था। पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के अन्तर्गत गृहकर का मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है व न ही अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया गया। अतः गृहकर का मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(2) **<u>दुकानों से किराया</u>**

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेश राशि
2013–14	2700	16400	19100	8900	10200

2014–15	10200	24000	34200	8800	25400
2015–16	25400	24000	49400	23800	25600

अतः गृहकर व दुकानों के किराये की क्रमशः ₹30674 व ₹25600 कुल ₹56,274 के राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

7 खाता (ख) के ब्याज ₹0.67 लाख को खाता (क) में अन्तरित न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता–ख से अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता–क में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत बसाल अप्पर के खातों की जांच करने पर पाया गया कि उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निम्नानुसार अनुदानों पर प्राप्त ब्याज ₹66,591 को स्वयं संसाधनों के खाता–क में अन्तरित नहीं किया गया है। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व तुरन्त प्रभाव से खाता–ख में अर्जित ब्याज को खाता–क में आंतरित किया जाए व भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

वित्तीय वर्ष	योजना	तेरहवें वितायोग	आई0ए0वाई	टी0एस0सी0	मनरेगा	योग
2013–14	16201	1543	1412	527	213	19896
2014–15	16683	4822	510	1770	167	23952
2015–16	9862	4438	59	8384	–	22743
योग	**42746**	**10803**	**1981**	**10681**	**380**	**66591**

8 अनुदान ₹10.67 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई विवरणी **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹10,66,639.60 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को

स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.55 लाख के स्टॉक, स्टोर का क्रय करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–2(i & ii)** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹2,55,059 के स्टॉक स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक स्टोर क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 पंचायत द्वारा क्रय किए गए ₹0.21 लाख के सामान को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 70 के अनुसार क्रय व जारी किए गए सामान की प्रविष्टियां स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय वाऊचरों की जांच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट–3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹20,579 का स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया, लेकिन उक्त सामान की स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में प्राप्ति प्रविष्टियां व उपयोग लेखा तैयार नहीं किया गया था। अतः अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अभिलेख पूर्ण कर आगामी अंकेक्षण में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 मनरेगा के अन्तर्गत करवाए गए विकास कार्यों के प्राक्कलन व माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे

ग्राम पंचायत बसाल अप्पर में संलग्न **परिशिष्ट–4** के अनुसार मनरेगा के अन्तर्गत अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान ₹88,134 के मस्ट्रोलों द्वारा मजदूरी का भुगतान विभिन्न विकास कार्यों को निष्पादित करने हेतु किया गया लेकिन निष्पादित कार्यों के अनुमान/प्राक्कलन व वास्तविक रूप से निष्पादित किए गए कार्यों के मापन की माप

पुस्तिकाएं अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप करवाए गए कार्यों की वास्तविकता की जाँच अंकेक्षण के दौरान सम्भव नहीं हो सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 ₹0.10 लाख का अनियमित एवं संदिग्ध भुगतान

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न वाऊचरों के अन्तर्गत विभिन्न मासों के दौरान **परिशिष्ट–5** में दिए गए विवरणानुसार विभिन्न ट्रैक्टर मालिकों को सामान की ढुलवाई के रूप में ₹17,226 का भुगतान किया गया है। उक्त व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियां है। जिनका निराकरण किया जाए। (i) **परिशिष्ट–5** में दिए गए विवरणानुसार क्रम संख्याः 1 से 6 पर उल्लेखित पंचायत घर से कार्य स्थल तक सीमेन्ट की ढुलवाई के रूप में ₹4590 का भुगतान विभिन्न ट्रैक्टर मालिकों को किया गया है। चर्चा के दौरान बताया गया कि पंचायत का अपना स्टोर नहीं है स्टोर न होने के कारण सीमेन्ट को ऊना से कार्य स्थल तक ले जाया जाना अपेक्षित था। जबकि सीमेन्ट की ढुलवाई पहले ऊना से पंचायत घर तक व पंचायत घर से कार्य स्थल तक दर्शाई गई है। जो कि तर्क संगत नहीं है क्योंकि जब पंचायत का अपना स्टोर ही नहीं है तो किस उद्देश्य हेतु पहले पंचायत घर तक व पंचायत घर से कार्य स्थल तक सीमेन्ट की ढुलाई की गई। फलस्वरूप उक्त भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः पंचायत का अपना स्टोर न होने के बावजूद पंचायत घर से कार्य स्थल तक सीमेन्ट की ढुलाई को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ii) **परिशिष्ट–5** में दिए गए विवरणानुसार क्रम संख्याः 3 व 6 पर उल्लेखित सामान की ढुलवाई हेतु 21 चक्करों के रूप में ₹5400 का भुगतान किया गया है। लेकिन रसीदों में यह उल्लेखित नहीं है कि क्या सामान व कितनी मात्रा में ढुलवाया गया है केवल चक्करों की संख्या व दर उल्लेखित है सामान का विवरण व मात्रा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वास्तविक रूप में कितनी मात्रा में क्या–क्या सामान/सामग्री क्रय की गई व एक चक्कर में कितनी मात्रा लाई गई। सामान का विवरण व मात्रा के अभाव में चक्करों के रूप में ट्रैक्टर मालिकों को किया गया भुगतान संदिग्ध एवं अनियमित प्रतीत होता है। अतः सामान की ढुलवाई से सम्बन्धित वांछित अभिलेख मात्रा एवं विवरण सहित आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया

जाए, ताकि सामान की मात्रा एवं विवरण के साथ टैक्टर मालिकों को ढुलवाई के रूप में किए गए भुगतानों को उचित ठहराया जा सके व मात्रा से अधिक दर्शाए गए चक्करों (Trip) की एवज़ में किए गए अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सम्भव हो सके। किसी भी अधिक भुगतान की अवस्था में अधिक भुगतान की वसूली उतरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

13 दुकान किराये के रूप में हुई हानि ₹0.48 लाख

सचिव ग्राम पंचायत बसाल अप्पर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत बसाल अप्पर की 7 दुकानें हैं जिनमें से 2 दुकानें निर्माण उपरान्त कभी भी किराये पर नहीं दी गई। यदि उक्त दुकानों को निर्माण उपरान्त अवधि 1.4.2011 से ही अन्य दुकानों की तरह ₹400 प्रतिमाह किराये पर दिया जाता तो उक्त दुकानों से दिनांक 31.3.16 तक 60 माह हेतु ₹48,000 (400 x 60 x 2) की आय प्राप्त हो सकती थी। अतः दुकान संख्याः 3 व 5 को किराये पर न देने के कारण हुई हानि ₹48,000 बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व दुकानों को अविलम्ब किराये पर दिया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

14 अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के दौरान क्रय सामग्री की मात्रा की मापन ईकाई को फुट व ट्राली के रूप में गलत दर्शाना

ग्राम पंचायत बसाल अप्पर के अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय वाऊचरों की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत बसाल अप्पर द्वारा सामग्री के रूप में क्रय रेता, बजरा, बजरी, पत्थर की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति एवं जारी/खपत प्रविष्टियां ट्राली इत्यादि के रूप में दर्ज की गई व तदानुसार माप पुस्तिकाओं में कार्य का मूल्यांकन करते समय सम्पूर्ण सामग्री जैसे कि रेता, बजरी, बजरा व पत्थर इत्यादि को ट्राली इत्यादि के रूप में दर्शाया गया है। जोकि कार्य नियमों को गम्भीर अवहेलना होने के साथ–साथ अव्यवहारिक एवं आपत्तिजनक है। नियमानुसार रेता, बजरी, बजरा एवं पत्थर इत्यादि की मात्रा को घनफुट या घनमीटर में ही माप जा सकता है व ट्राली/फुट के रूप में मापन असम्भव है। यहां यह भी उल्लेखित है कि निर्माण/मुरम्मत कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर तकनीकी सहायक व ब्लॉक स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता की देख–रेख में निष्पादित किये जाते हैं।

15 माप पुस्तिका में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार न करना

अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत में प्रत्येक माह विकास कार्यों हेतु लाखों रुपये की सामग्री जैसे रेत, बजरी, बजरा, पत्थर, सीमेन्ट, ईंटे इत्यादि खरीदा गया, लेकिन माप पुस्तिका में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार नहीं की गई। जिसके फलस्वरूप इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि जिस कार्य हेतु प्राक्कलन के आधार पर जितनी मात्रा में सामग्री खरीदी गई थी, क्या वास्तव में उतनी ही मात्रा में सामग्री का उपयोग हुआ था। अतः भविष्य में माप पुसितकाओं में सामग्री उपयोगी विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए।

16 वाऊचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुरूप लेखों का रख–रखाव ग्राम पंचायत बसाल अप्पर द्वारा नहीं किया गया। उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाऊचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत बसाल अप्पर के व्यय वाऊचरों की जांच करने पर पाया गया कि वाऊचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थी। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक वाऊचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 टी0डी0एस0 की कटौती न करना

आयकर की धारा 194–सी में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति संविदाकार अथवा फर्म को किए गए ₹30,000 से अधिक के किसी भी एकल भुगतान अथवा ₹75,000 से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% की दर से टी0डी0एस0 की कटौती की जानी अपेक्षित है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक सम्बन्धित से टी0डी0एस की कटौती नहीं की गई है। जिसके कारण सरकारी कोष में प्राप्ति के रूप में कटौती न की गई राशि की गणना संस्था स्तर पर करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि उचित स्त्रोत से वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

18.1 स्टोर (सामान) का क्रय व उपायन के प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 की धारा 67(3) के अनुसार ग्राम पंचायत बसाल अप्पर द्वारा स्टोर (सामान) के क्रय व उपायन के प्रयोजन हेतु उप समिति गठित नहीं की थी। अतः स्टोर (सामान) का क्रय व उपायन उप समिति के गठन के बिना करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के दौरान उप समिति के गठन के बिना अनियमित रूप से क्रय किए गए स्टोर (सामान) को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए।

18.2 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उपनियम 93 के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अपेक्षित था ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। अतः सहभागी समिति के गठन के बिना अनियमित रूप से करवाए गए सभी कार्यों को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। लेकिन जांच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र०सं०	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	–	103
4	मासिक समाधान विवरणी	–	15(1)
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)

6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
10	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

22 प्रत्यक्ष सत्यापन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया हैं। जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

23 लघु आपत्ति विवरणिका :– यह अलग से जारी नहीं की गई।

24 निष्कर्ष :– लेखे के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(5)14/2016–,खण्ड–1–6317–6320 दिनांकः30.11.2016
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत बसाल अप्पर, विकास खण्ड ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कसुम्पटी, शिमला–09 को पैरा संख्याः 1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ऊना, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0।
5. वरिष्ठ महालेखाकार (स्थानीय निकाय), कार्यालय प्रधान महालेखाकार, हि0प्र0 शिमला–171003

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009